FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत....उपखण्ड अधिकारी....मुकाम....कोटा....

....मोबाईल....बनाम....रामनारायण....

किस्म मुकदमा....88, 89, 53, 188....नं. ....138....सन्....2016....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/1/26	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 वास्ते पेश हुई। प्रतिवादी नं0 4/1 लगायत 4/3 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में एक वाद संख्या 6/2011 बउनवान रामनारायण वगैरा बनाम बाबूलाल वगैराह प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में वादी संख्या 1 रामनारायण ने विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 ने अपना 1/3 हिस्सा होना वर्णित किया है तथा वाद संख्या 6/2011 में इस वाद संख्या 138/2016 के वादीगण का विवादित आराजी में हिस्सा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत पश्चावर्ती वाद संख्या 138/2016 में भी विवादित आराजी, वाद के कथन एवं मेटर इन इश्यू समान है। कानूनन पूर्व वाद के लंबित रहते पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं है एवं वाद संख्या 6/2011 बउनवान रामनारायण वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा के निर्णय तक यह वाद संख्या 138/2016 की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वाद संख्या 6/2011 बउनवान रामनारायण वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा के निर्णय तक वाद संख्या 138/2016 की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य, वादकारण व पक्षकारान तथा प्रतिवादी रामनारायण व बृजमोहन द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य, वाद कारण पक्षकारान भिन्न भिन्न है जिसके कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई को स्थगित किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई धारा 10 सीपीसी के बाधित नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि में अपने पिता स्वर्गीय चन्दा आत्मज धूलीलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिस व उत्ताराधिकारी उनके पुत्र प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के पिता बाबूलाल एवं उनकी पुत्रीयों वादीगण को बहिस्सा बराबर से निहित होना किन्तु राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारीयों द्वारा उक्त भूमि का इंतकाल केवल प्रतिवादी कम 1, 2 व बाबूलाल के पक्ष में तस्दीक कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना करने के कारण खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन के अनुतोष हेतु पेश किया है। जबकि प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में चंदा जी की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी कम 1 व 2 रामनारायण, बृजमोहन एवं प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल का 1/3, 1/3 हक हिस्सा बाबत हुये प्रतिवादी कम 1 द्वारा उक्त आराजी अनाधिकृत तौर पर सरदार जगरूत सिंह को बैचान कर देने व उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि गलत रूप से उनके वारिस नवदीप सिंह वगैराह के नाम गलत रूप से दर्ज होना बताते हुये खातेदारी अधिकारो की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व विभाजन हेतु पेश किया हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनो वादो के तथ्य पक्षकारान के मध्य रियल कन्ट्रावर्सी व विवाद्यक किसी भी रूप में एक दूसरे से नहीं टकराते है जिसके कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई धारा 10 सीपीसी से बाधित नहीं है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में एक वाद संख्या 6/2011 बउनवान रामनारायण वगैरा बनाम बाबूलाल वगैराह प्रस्तुत किया गया था। वाद संख्या 6/2011 में इस वाद संख्या 138/2016 के वादीगण का विवादित आराजी में हिस्सा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत पश्चावर्ती वाद संख्या 138/2016 में भी विवादित आराजी, वाद के कथन एवं मेटर इन इश्यू समान है। कानूनन पूर्व वाद के लंबित रहते पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य, वादकारण व पक्षकारान तथा प्रतिवादी रामनारायण व बृजमोहन द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य, वाद कारण पक्षकारान भिन्न भिन्न है जिसके कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई धारा 10 सीपीसी से बाधित नही है।

उभयपक्षकारान की ओर से दिये गये तर्को पर मनन किया गया एवं उक्त दोनो पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वाद संख्या 6/2011 उनवान रामनारायण बनाम बाबूलाल इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा कोटा की खसरा नं0 191 की 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के पिता चन्द्रा जी द्वारा खरीद की गयी थी। उक्त जमीन चन्द्रा के खाते बंधने से पूर्व ही चन्द्रा जी की मृत्यु हो गई, इस कारण उक्त खरीद शुदा जमीन का नामान्तरकरण चन्द्रा जी के तीनो पुत्रों रामनारायण, बृजमोहन, बाबूलाल के नाम खुला। उक्त भूमि में तीनों पुत्रों का समान हिस्सा था। प्रतिवादी क्रम 1 ने अनाधिकृत तौर पर वादीगण की आराजी भी सरदार जगरूपसिंह को विक्रय कर दी। उस समय वादीगण नाबालिग थे। अतः ग्राम चन्द्रेसल की पुराने खसरा नं0 191 की 16 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 1063 की 2.61 है0 है, में वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे।

इसी प्रकार वाद संख्या 138/2016 उनवान प्रेमबाई बनाम रामनारायण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा कोटा की खसरा नं0 191 की 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के पिता चन्द्रा जी द्वारा खरीद की गयी थी। उक्त जमीन चन्द्रा के खाते दर्ज कराने से पूर्व ही चन्द्रा जी की मृत्यु हो गई, और चन्द्रा जी के स्वर्गवास के उपरांत वादीगण व प्रतिवादी नं0 1, 2 तथा 3 स्वर्गीय चन्द्रा जी के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि के मालिक व स्वामी है। स्व0 चन्द्रा जी ने अपने जीवन काल में उक्त आराजी बाबत कभी कोई वसीयत आदि नही की इसलिये उक्त आराजी में उनके स्वर्गवास के उपरांत वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का सभी का पैदाईशी हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी क्रम 3 के पिता बाबूलाल ने अनाधिकृत तौर पर वादीगण की आराजी भी सरदार जगरूपसिंह को विक्रय कर दी। उस समय वादीगण नाबालिग थे। अतः ग्राम चन्द्रेसल की पुराने खसरा नं0 191 की 16 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 1063 की 2.61 है0 है, में वादीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

उक्त दोनो पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दोनो वाद पत्र ग्राम चन्द्रेसल की खसरा नं0 191 की 16 बीघा 6 बिस्वा नये खसरा नं0 1063 की 2.61 है0 भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किये गये है। दोनो वाद पत्रों की विषयवस्तु भी समान है। अतः समान आराजी एवं समान विषयवस्तु होने के कारण वाद संख्या 6/2011 बउनवान रामनारायण वगैरा बनाम बाबूलाल वगैरा के निर्णय तक हस्तगत वाद संख्या 138/2016 की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी नं0 4/1 लगायत 4/3 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 स्वीकार कर हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा